

## वैश्विक आर्थिकी एवं भारत

पिछले कुछ समय से विश्व के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और वित्तीय विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि 2019-20 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्थाएं संकट के घेरे में आ सकती हैं। संरक्षणवाद, व्यापार युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणाम धीरे-धीरे, लेकिन निरंतर सामने आ रहे हैं। चीन में मंदी, दीर्घकालिक ब्याज दरों में वृद्धि और केंद्रीय बैंकों की स्वायत्तता को परे रखकर लोकलुभावन आर्थिक नीतियों जैसे कारक वैश्विक स्तर पर विकास की गति को कम कर सकते हैं। भारत को देखें, तो दिसंबर के आंकड़े इंगित कर रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियों में स्थिरता है। इससे नवंबर की बढ़त से पैदा हुआ उत्साह मंद पड़ा है। निर्यात में ठहराव के साथ घरेलू बाजार भी ढीला पड़ा है। जानकार कहते हैं कि मांग बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में वित्तीय और मौद्रिक सहायता की जरूरत है। कृषि संकट और बेरोजगारी के समाधान तथा सामाजिक कल्याण योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती में निवेश के दबाव के साथ आर्थिक मोर्चे पर धन उपलब्ध कराने की चुनौती भी सरकार के सामने है।

### जीडीपी की दर 7.5 फीसदी के आसपास है और उथल-पुथल से गुजर रही विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत फिलहाल सबसे आगे है।

पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार और निवेशकों का भरोसा बनाये रखने के लिए वित्तीय घाटों को तीन फीसदी के आसपास रखने की चुनौती है। बोते साढ़े चार सालों में वैश्विक और घरेलू मोर्चे पर अनेक मुश्किलों का सामना करते हुए मोदी सरकार ने सुधारों की गति को न सिर्फ तेज किया है, बल्कि साहसी फैसलों से अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने और वित्तीय प्रबंधन को सुचारु रूप देने का उल्लेखनीय प्रयास किया है। पिछले 15 सालों में मुद्रास्फूर्ति और कुल वित्तीय घाटे की दरें सबसे निचले स्तर पर हैं। जीडीपी की दर 7.5 फीसदी के आसपास है और उथल-पुथल से गुजर रही विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत फिलहाल सबसे आगे है। इन आंकड़ों के साथ इस सरकार की विरासत बुनियादी आर्थिक आधारों पर बहुत ठोस होगी और पिछली सरकार की तुलना में बहुत बेहतर भी होगी। यह भी कहा जाना चाहिए कि विकास के शानदार मानकों के बावजूद आबादी के बढ़े हिस्से तक इनके फायदे नहीं पहुंच सके हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय हलचलें हमारी अर्थव्यवस्था को अस्थिर भी कर सकती हैं, पर यदि वैश्विक संतुलन में स्थिरता आती है, तो उसका ज्यादा फायदा भी भारत को होगा। अब देखा यह है कि नीतिगत पहलों पर ध्यान देते हुए विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सरकार की दिशा क्या होगी।



बोधि वृक्ष

## सोच-विचार

संसार भर में फैले-पसरे भ्रम-अव्यवस्था, दुर्दशा, आतंक, विनाश और भयावह हिंसा के पीछे क्या निहितार्थ हैं? इसके बारे में सोचने-विचारने, इसका अवलोकन और जांच-पड़ताल करने के लिए हमें पूर्वाग्रह रहित ऊर्जा से सक्षम होना होता है- और हमारे सामने ही घट रहे केवल बाहरी तथ्यों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर अंतस्तर तक गहराई में जो हो रहा है, इन सब बातों का महत्व या क्या अभिप्राय है- इसे हम सब को मिल-जुल कर ही जानना समझना होगा, न कि आप किसी और दिशा में सोचे और मैं किसी और दिशा में। बल्कि एक साथ एकजुट होकर प्रत्येक तथ्य का जो एकमात्र सत्य है, उसे जानना होगा। यह अवलोकन, यह जांच पड़ताल प्रभावित, बाधित होती है अगर हम अपने-अपने पूर्वाग्रहों से, अपने विशेष अनुभवों, अपने निकटों से चिपके-चिपके रहें, क्योंकि जिस तरह दुनिया विखंडित हो रही है, जिस तरह संसार का पतन या ह्रास होता दिख रहा है, जिस तरह दुनिया में नैतिकता का संवेदना भाव खो गया है, जिस दुनिया में कुछ भी पवित्र-पावन-दिव्य शेष नहीं रहा, जहां कोई अन्य किसी का मान-सम्मान नहीं कर रहा। ऐसे संसार के बारे में, मिल-जुल कर सोचना-विचारना अत्यंत ही जरूरी हो गया है। केवल सतही या किसी फैशन की तरह औपचारिक रूप से नहीं, बल्कि गहराई से हमें दुनिया की इस हालत, इसमें निहित अर्थों के बारे में जानना समझना होगा। वमें यह पता लगाना होगा कि हजारों बरस के विकास के बाद आप में और सारी दुनिया, इतनी हिंसक, निर्दयी या बेरहम, विखंडक क्यों हो गयी है, क्यों हम हमेशा युद्धों में रत रहते हैं, परमाणु बम बनाते रहते हैं, तकनीकी जगत में हमने ज्यादा से ज्यादा प्रगति की है- क्या इसलिए, क्या यही वह एक वजह है, जो संसार की आदमी की ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार है। तो आइए, सोचें और विचारें। मेरे हिसाब से या आप अपने हिसाब से नहीं, बल्कि मिल-जुल कर। अपने छोटे-छोटे दिमागों में मौजूद बुद्धि की, सोचने-विचारने की आम क्षमता से सोचें।

जे.कृष्णमूर्ति

## कुछ अलग

# सरकार और बजट का फंडा

जिस तरह से हर साल नया साल आता है, उसी तरह से हर साल नया बजट आता है। नया बजट आता है, तो लोग नयी-नयी अटकलें लगाते हैं। उनकी अटकलें नयी होती हैं, डर वही पुराने होते हैं। लोग डरते हैं कि नये बजट के साथ महंगाई नयी हो जायेगी, बेरोजगारी नयी हो जायेगी, भ्रष्टाचार नया हो जायेगा और लोगों की कठिनाइयां तथा परेशानियां भी नयी हो जायेंगी। लोग बिना बात नहीं, बल्कि अपने अनुभव की बिना पर डरते हैं। और वैसे भी जो लोग अपने नसीब में सिर्फ डरना लिखवाकर लाये हैं, वे डरेंगे ही। डरना उनका काम है और डराना सरकार का काम, फिर चाहे वह कानून से डराये या बजट से।

लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि सरकार का बजट बनाने का फंडा क्या है? तो एक विज्ञापन के अनुसार, फंडा क्लयीर है। सरकार आम आदमी की भलाई के लिए बजट पेश करती है। जिस बजट में आम आदमी की भलाई न हो, वह बजट कैसा और जो बजट नहीं, उसे सरकार पेश नहीं कर सकती। इसलिए हमें यह मान कर चलना चाहिए कि बजट के नाम पर सरकार जो कुछ भी पेश करेगी, उसमें आम आदमी की भलाई ही छिपी होगी। अब यह आम आदमी का काम है कि उस छिपी भलाई को तलाशे। वह तलाश नहीं कर पाता, तो इसमें सरकार का क्या दोष? सरकार से यह अपेक्षा करना तो ज्यादती होगी कि वह पहले तो आम आदमी की भलाई को बजट में छिपाये और उसे तलाश कर भी वही दे। और यह उम्मीद करना

### सुरेश कांत

वरिष्ठ व्यंग्यकार  
drsureshkant@gmail.com

उससे भी बड़ी ज्यादती होगी कि आम आदमी की भलाई वह बजट में छिपाती ही क्यों है, उसे सीधे-सीधे क्यों नहीं दे देती? क्योंकि फिर उस्तादी ही क्या? एक चले ने अपने उस्ताद से मोर पकड़ने का आसान तरीका पूछा।

उस्ताद ने बताया कि एक मोमबत्ती, माचिस और रस्सी लो और रात में उस पेड़ पर चढ़ जाओ, जिस पर मोर सोया हो। मोर के पास जाकर मोमबत्ती जलाओ और उसका मोम मोर की आंखों में टपका दो, जिससे वह अंधा हो जायेगा। फिर उसे रस्सी से बांध कर पकड़ लो। यह सुन कर चेला सोच में पड़ गया, बोला, जो मोर आसानी से अपनी आंखों में मोम टपकवाने दे, क्या उसे बिना इस तामझाम के नहीं पकड़ा जा सकता? उस्ताद ने कहा कि बेटा, पकड़ा तो जा सकता है, पर फिर उस्तादी क्या हुई? सरकार भी किसी उस्ताद से कम नहीं होती। अक्सर तो वह उस्ताद होने की वजह से ही सरकार होती है। यह सरकार की उस्तादी ही तो है कि वह बजट से उन्हीं खास लोगों को फायदा पहुंचाती है, जो पहले से ही फायदे में होते हैं। ठीक भी है, जो आम लोग कभी फायदे में नहीं होते, उन्हें फायदा पहुंचाने का फायदा भी क्या? और फिर, जिन्हें हमेशा नुकसान में रहने की आदत है, वे अगर नुकसान में ही बने रहें, तो किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन जिन्हें हमेशा फायदे में रहने की आदत है, उन्हें जरा भी नुकसान हो जाये, तो वे परेशान हो जाते हैं। अब जो परेशान नहीं हैं, उन्हें बेमतलब परेशान क्यों किया जाए- यही सरकारी बजट का फंडा है।

सुनने में यह आया है कि मोदी सरकार आज पूरा बजट पेश करनेवाली है। अगर यह खबर सही है, तो मैं समझता हूँ कि संवैधानिक एतबार से ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान की मानें, तो मौजूदा सरकार को अपने आखिरी बजट में सिर्फ जून-जुलाई तक के लिए ही बजट तैयार करना चाहिए, क्योंकि अप्रैल में आम चुनाव है, जिसके बाद नयी सरकार बननी है। चुनाव बाद सरकार चाहे जिसकी भी बने, वह नयी सरकार ही जून-जुलाई में अगले नौ महीनों के लिए बजट पेश करती है। लेकिन, मौजूदा सरकार का मानना है कि वह पूरा बजट पेश करेगी, जनता के हितों के लिए ऐसा करना वह जरूरी मान रही है। कांस्टीट्यूशनल प्रॉब्लेम (संवैधानिक औचित्य) के हिसाब से यह गलत है और सिर्फ उम्मीद ही है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी।

अब जहां तक आज पेश होनेवाले बजट का सवाल है कि वह कैसा होगा, तो यह तय है कि वह लोकलुभावन ही होगा। सरकार के रुख को देखते हुए यह अंदाजा लगाना आसान है कि इस बजट में किसानों के लिए बड़ा पैकेज हो सकता है, साथ ही एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) के लिए भी बड़ा पैकेज हो सकता है। कहने का अर्थ है कि जो भी कुछ परेशान वर्ग है, मसलन किसान-व्यापारी आदि, उनके लिए अच्छा पैकेज होगा। यह भी हो सकता है कि जो ढाई लाख और पांच लाख के टैक्स स्लैब हैं, इसे सरकार एक कर दे. कुछ भत्ते वगैरह को लेकर मैंने सुना है कि मिडिल क्लास को सालाना साढ़े बारह हजार का फायदा होगा. कार्पोरेट टैक्स में 25 प्रतिशत तक ले आने की बात चली आ रही थी. संभव है कि यह भी हो जाये.

ऑडिशन में किसानों के लिए एक सफलतम 'कालिया योजना' शुरू की गयी है, जिसके तहत सभी पात्र किसानों को कृषि के लिए वित्तीय सहायता दी जानी है और उनकी आजीविका, खेती, सहायता और बीमा सुविधाएं भी

मिलनी हैं. सुनने में आया है कि केंद्र सरकार भी बजट में ऐसी ही किसी योजना पर विचार कर रही है. ऐसा करने के लिए कृषि के लिए एक बड़े पैकेज की दरकार तो है ही.

जहां तक भारत में गरीबों के लिए आय की बात है, तो केंद्र सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम का पाइलट प्रोजेक्ट भी ला सकती है, जिसे देश के सौ जिलों में लागू किया जा सकता है. राहुल गांधी के न्यूनतम आय वाले बयान के बाद तो इस पर चर्चा तेज हो गयी है, इसलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम के आने की उम्मीद ज्यादा है. वहीं एमएसएमई में इसलिए पैकेज आ सकता है, क्योंकि इस वक्त व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है. इसमें टैक्स लाभ देने और कुछ सब्सिडी भी देने की बात चल रही थी, संभव है कि ये लाभ इस वर्ग को मिल जाए. ऐसे में कोई संदेह नहीं है कि यह बजट लोकलुभावन राजनीतिक बजट होगा, जो एक अर्थ में वोट बैंक बजट भी कहा जा सकता है.

फिच रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि अगर मोदी सरकार लोकलुभावन बजट पेश करती है, तो सरकार अपने लक्ष्यों को नहीं पा सकेगी. यह सही बात है, क्योंकि पिछले साल का आंकड़ा देखें, तो सरकार ने राजकोषीय घाटे (फिस्कल डेफिसिट) के लक्ष्य को पकड़ नहीं पायी और इस साल भी इसकी संभावना है. ऐसे में अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लाने और



### संदीप बामजई

आर्थिक मामलों के जानकार  
sandeep.bamzai@gmail.com

### सरकार का मानना है कि वह पूरा बजट पेश करेगी. जनता के हितों के लिए ऐसा करना वह जरूरी मान रही है. सिर्फ उम्मीद ही है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी.

किसानों के लिए पैकेज देने, इन दोनों को मिला कर देखें, तो सरकार को बहुत खर्च करना होगा, जिसका असर राजकोषीय घाटे पर पड़ना तय है. यही नहीं, इसके अलावा भी कुछ अन्य क्षेत्रों में जो बड़े पैकेज आयेगे, तो उससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा और सरकार अपने कई लक्ष्यों से चूक जायेगी.

इस बार बजट सत्र एक फरवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा. यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार में बजटीय चीजों के नोटिफिकेशन में चार-पांच महीने लग जाते हैं. ऐसे में जो चीज लेंजिंग्लेशन (विधान निर्माण) की होगी यानी मनी बिल होगी, वह इस सत्र में पास नहीं हो पायेगी, क्योंकि विपक्ष उसको पास नहीं होने देगा. लेकिन, अगर सरकार उसे कार्यकारी आदेश के तहत ले आयेगी, (मसलन अभी घोषणा करके कैबिनेट से स्वीकृति ले ले, जिसे संसद में वापस न ले जाना हो) तो इसको सरकार पास कर ले जायेगी. इस तरह के सारे विकल्पों के बारे में सरकार ने विचार किया है और बोते कुछ दिनों में कई तरह के पैकेजों की सूची पीएमओ को भेजी गयी है

कि कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा. यहां तक कि कालिया योजना या फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम का फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर बेंचमार्क की प्रक्रिया अपनायी जा सकती है. इन दोनों को मिला कर

# बाल यौन शोषण पर चुप न रहें



### कुमार आशीष

एसपी, किशनगंज

### नाबालिग बच्चों के साथ होनेवाले अपराधों के मामलों में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है. इसके तहत बच्चों को यौन उपीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान की जाती है.

आये दिन देश भर में छोटे बच्चे-बच्चियों के साथ यौन शोषण-उपीड़न के मामलों का प्रकाश में आ रहे हैं. ज्यादातर मामलों में कुकृत्य करनेवाले अपने खास, जान-पहचान, रिश्तेदार या स्कूल कर्मचारी इत्यादि होते हैं. ऐसी घटनाएं एक सभ्य समाज के लिए धब्बा हैं और हमारी अंतरात्मा को झकड़कर देती हैं. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से जारी एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आयी कि देश में प्रत्येक दूसरा बच्चा यौन शोषण का शिकार हुआ है, जिनमें 52.94 प्रतिशत लड़के और 47.06 प्रतिशत लड़कियां हैं. ज्यादा बाल यौन शोषण की घटनाएं क्रमशः आसाम (57.27 प्रतिशत), दिल्ली (41 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (33.87 प्रतिशत) और बिहार (33.27 प्रतिशत) में रिपोर्ट हुई हैं. एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भी विगत कई वर्षों से बाल यौन शोषण के अपराधों में लगातार वृद्धि होती जा रही है.

समाज में ऐसी घटनाओं पर चुपची साधे रहना भी एक बड़ी समस्या है और ऐसी अवधारणा है कि घर से बाहर ऐसी बातें जाने न पाएँ, वरना लोग क्या कहेंगे? आज भी लोग बाल यौन शोषण की समस्या पर बात करने में असहज महसूस करते हैं. विभिन्न सर्वेक्षणों के मुताबिक, 34 प्रतिशत बच्चों के साथ इस अपराध में उनके घर का ही कोई व्यक्ति संलिप्त होता है, 59 प्रतिशत घटनाओं में परिवार के विश्वसनीय समझे जानेवाले पारिवारिक मित्र या हितैषी होते हैं. यौन शोषण के अधिकतर मामलों में बच्चों की उम्र नौ साल से कम पायी गयी है. कच्ची उम्र में ऐसे घृणित अपराधों का शिकार बने बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कुंठित हो जाता है और बच्चों के कोमल मन-मस्तिष्क में अपरिवर्तनीय मानसिक विकारों का बीजारोपण होता है, जो आगे जाकर इन्हें जघन्य अपराध की दुनिया में भी धकेल सकता है. जरूरत है कि हम इन पीड़ित बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें एक स्वस्थ माहौल दें.

जागरूकता फैलाना इसके लिए सबसे पहली कड़ी साबित हो सकती है- गैर सरकारी संस्थाएँ, जागरूक नागरिक संगठन, नये व प्रभावी कड़े कानून, पुलिस की ससमय कठोर कार्रवाई, मीडिया की पहल तथा सोशल मीडिया के जरिये इस बारे में चेतना फैला कर एक नया परिवेश बनाने की कोशिश की जा सकती है. सोशल मीडिया पर सकारात्मक रूप से इसके विभिन्न आयामों और पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न स्तरों पर खुल कर चर्चा की जा रही है. अब बच्चों को लैंगिक शिक्षा शुरूआती स्तर से ही देने की जरूरत है.

जरूरत है बच्चों को 'गुड टच' और 'बैड टच' में फर्क समझाने की. बार-बार कोई परिचित चॉकलेट या अन्य कोई प्रलोभन दें, तो उसको

अपने मां-बाप को बताने की, कुछ भी अलग-सा महसूस हो, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की, 'नो' कह सकने की.

माता-पिता अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएँ, ताकि बच्चे अपना सुख-दुख उनसे शेयर कर सकें. यदि बच्चे उनके साथ हुए किसी प्रकार के शोषण के बारे में बताते हैं, तो उनकी बातों को सुनें, उन पर विश्वास करें और उन्हें बताएँ कि जो कुछ उनके साथ हुआ, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है. घर हो या बाहर, कभी कोई भी गलत करने को कहे, तो बिल्कुल उसकी बात मत मानो और तुरंत हमें खबर करो. हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो.

बिहार के हर पुलिस थाने में एक वरीय पुलिस पदाधिकारी को चार्ल्ड वेलफेयर ऑफिसर के रूप में नामित किया गया है, जिसकी सूचना थाने के सूचनापट पर लगी होती है. आप निस्संकोच उनसे संपर्क कर सकते हैं. हर जिले में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) को इसके लिए नामित किया गया है, जो जिलेभर की ऐसी शिकायतों को खुद देखते हैं और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करावाते हैं. सूचना देनेवाले का नाम, पता और अन्य डिटेलस गोपनीय रखा जाता है.

बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक विशेष अधिनियम पॉक्सो एक्ट, 2012 बनाया गया है. पॉक्सो-प्रोटेक्शन ऑफ चार्ल्ड वेलफेयर ऑफिसर के रूप में नामित किया गया है, जिसकी सूचना थाने के सूचनापट पर लगी होती है. आप निस्संकोच उनसे संपर्क कर सकते हैं. हर जिले में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) को इसके लिए नामित किया गया है, जो जिलेभर की ऐसी शिकायतों को खुद देखते हैं और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करावाते हैं. सूचना देनेवाले का नाम, पता और अन्य डिटेलस गोपनीय रखा जाता है.

यदि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है और अभियुक्त भी किशोर ही है, तो उस पर किशोर न्यायालय में केस चलाया जायेगा. इस एक्ट में नियम है कि यदि कोई व्यक्ति जानता है कि मामले को 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति की निगरानी में लाये, कि सीडब्ल्यूसी बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठा सके.

यदि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है और अभियुक्त भी किशोर ही है, तो उस पर किशोर न्यायालय में केस चलाया जायेगा. इस एक्ट में नियम है कि यदि कोई व्यक्ति जानता है कि मामले को 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति की निगरानी में लाये, कि सीडब्ल्यूसी बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठा सके.

## कार्टून कोना



सम्भार : बीबीसी

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, फ़ैक्स करें : 0651-2544006, मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है

## आपके पत्र

### रांची-टोरी लाइन पर लंबी दूरी की ट्रेन का हो परिचालन

रांची-लोहरदगा-टोरी लाइन चालू हो गयी है और विद्युतीकरण भी किया जा चुका है. अब रांची-चौनम एक्सप्रेस के साथ-साथ अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों को भी लोहरदगा-टोरी लाइन पर चलाने से झारखंड की जनता का बहुमुल्य समय और पैसा, दोनों बचेंगे. वर्तमान में यह ट्रेन रांची-मुरी मार्ग से हो कर चलती है. रांची-टोरी रेल मार्ग का दोहरीकरण किया जाना जरूरी है, जिससे कि इस मार्ग से कोयला और बॉक्साइट जैसे लौह अयस्क की दुर्दाई भी सुगमता से हो सके. रांची, लोहरदगा एवं पलामू के सांसदों से अनुरोध है कि अपने स्तर से प्रयास करें. रेल मंत्री से भी अनुरोध करना है कि रांची-लोहरदगा-टोरी मार्ग पर जल्द ही मेल व एक्सप्रेस गाड़ियों का परिचालन सुनिश्चित कराएँ.

अवधेश तिवारी, सुदना, पलामू

### विंताजनक स्थिति

ग्रीनपीस इंडिया के वार्षिक रिपोर्ट में झारिया का देश के सबसे प्रदूषित शहरों में और धनबाद का नौवें स्थान पर आना बेहद विंताजनक है. इस विषय में जल्द-से-जल्द विचार करना चाहिए. अन्याय वह दिन दूर नहीं जब हम सब जहरीली हवा की चपेट में पूरी तरह आ जायेंगे. स्वच्छता की बातें तो सभी करते हैं, परंतु उसे अमल में लाने वाले न के बराबर हैं. नगर निगम के साथ-साथ हमलोंगी की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास सफाई रखें. जब हम सफाई पर ध्यान देंगे, तो पूरा क्षेत्र अपने आप साफ रहेगा. शहर में कई ऐसी जगहें हैं, जहां नाली ही नहीं हैं. जहां हैं भी, तो उसकी स्थिति जर्जर है. इससे नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है. नगर निगम ईमानदारी से साफ-सफाई करे, तो वह दिन दूर नहीं, जब प्रदूषित शहरों की सूची से हमारे शहर का नाम हट जायेगा.

शुभम गुप्ता, धनबाद

### प्रधानमंत्री की सही सलाह

प्रधानमंत्री ने परीक्षा के बारे में बच्चों और अभिभावकों से बात की. पहले की अपेक्षा अभी बच्चे परीक्षा को लेकर ज्यादा दबाव में रहते हैं. इसका एक कारण नहीं है, पर मुख्य वजह दूसरे की नजर में अपने बच्चे को अच्छा दिखाने के लिए शुरू से उन पर मानसिक दबाव बनाया जाना है. सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं. उनकी क्षमता अलग-अलग होती है. उन्हें सिर्फ नंबर लाने की होड़ में झोंक दिया जाता है. इसका नतीजा है कि कई विद्यार्थी आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा रहे हैं. प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि कोई खिलौना टूटने से बचपन नहीं मरता. अभी जो स्थिति है, उससे बच्चों और अभिभावकों, दोनों को मिल कर लड़ना होगा. बच्चे सिर्फ परीक्षा के वक्त नहीं, बल्कि सालभर पढ़ाई करें. अभिभावक भी अपने बच्चे की तुलना औरों से न करें. इस बात को समझें कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होतीं. परीक्षा को लेकर शुरू से सकारात्मक माहौल रखें और उन पर दबाव बनाने की जगह उनकी अच्छाइयों को लेकर प्रोत्साहित करें.

सीमा साही, बोकारो